अजयिंदर सांगवान और अन्य

बनाम

दिल्ली बार काउंसिल और अन्य

05 फरवरी, 2018

[न्यायमूर्तिगण आर0 के0 अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे]

अधिवक्ता – राज्य बार काउंसिल – चुनाव:

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल – आवेदकों द्वारा दायर आवेदनों में कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य के महाधिवक्ता ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के राज्य बार काउंसिल के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी क्षमता पर आशंका व्यक्त की है – तथापि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) ने कहा है कि संबंधित राज्य बार काउंसिलों द्वारा कराए जाने वाले चुनावों की निगरानी के लिए अधिकरण/समितियों का गठन किया गया है – निर्णय : बी.सी.आई. द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया गया है और उक्त राज्य बार काउंसिलों के चुनावों के मामलों को देखने के लिए सौंपा गया है – इस प्रकार गठित समिति के स्थान पर किसी अन्य समिति के गठन का कोई आधार नहीं है।

केरल बार काउंसिल – केरल में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा बी.सी.आई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए चुनाव कार्यक्रम में संशोधन के लिए आवेदन इस आधार पर किया गया है कि चुनाव का दिन रविवार होने के बावजूद, राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार का दिन है और इस प्रकार, अधिकांश मतदाताओं के लिए अपना वोट डालना संभव नहीं होगा – निर्णय: मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, बार काउंसिल ऑफ केरल के चुनाव की तारीख पूर्व–निर्धारित की गई है – हालांकि, बी.सी.आई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए चुनाव कार्यक्रम के बाकी हिस्से वही रहेंगे.

महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल– बी.सी.आई. और महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल को निर्देश देने की मांग करने वाले आवेदन इन राज्यों के अधिवक्ताओं, जो मतदाता सूची में हैं, को नई दिल्ली में अपना वोट डालने की अनुमति दें क्योंकि वे कानूनी कार्य के उद्देश्य से दिल्ली में बस गए हैं – निर्णय: चुनाव कार्यक्रम को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है, आवेदकों या नई दिल्ली में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को अपने संबंधित राज्यों के बजाय नई दिल्ली में अपना वोट डालने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं है।

राजस्थान बार काउंसिल – राजस्थान बार काउंसिल द्वारा दायर आवेदन में चुनाव की तारीख को 28.03.2018 से 05.04.2018 तक इस आधार पर पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 24.03.2018 से 01.04.2018 तक छुट्टियां हैं और उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले सभी सदस्य ऐसी छुट्टियों के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे – निर्णय : छुट्टियों के बहाने चुनाव की तारीख को स्थगित करने का कोई आधार नहीं क्योंकि पहले से तय चुनाव को पुनर्निर्धारित करना उचित नहीं होगा।

दिल्ली बार काउंसिल – आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है आवेदन में दिल्ली बार काउंसिल को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने की मांग की गई है – निर्णय: आवेदक ने मूल दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था – दिल्ली बार काउंसिल को आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं बनता है।

आंध्र प्रदेश बार काउंसिल –

सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराने के लिए आंध्र प्रदेश बार काउंसिल और तेलंगाना स्टेट बार काउंसिल को निर्देश देने की मांग करते हुए आवेदन – निर्णय: बी.सी.आई. ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम तय किया है – हालांकि, तेलंगाना राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है – तेलंगाना बार काउंसिल अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और इसलिए, तेलंगाना की स्टेट बार काउंसिल में चुनाव तय नहीं किया गया है – बी.सी.आई. को तेलंगाना राज्य बार काउंसिल के लिए चुनाव कराने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं मिला।

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: स्थानांतरित मामला (सिविल) संख्या 126 वर्ष 2015.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

विक्रमजीत बनर्जी, राजीव दत्ता, मनन कुमार मिश्रा, महाबीर सिंह, वीएस गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, रमेश बाबू एम.आर., अनंत नारायण एम.जी., गौरव अग्रवाल, एस. मो. हनीफ, पीयूष चौधरी, सत्या मित्रा, जे.एस. रावत, घनश्याम जोशी, सुश्री प्रतिभा जैन, तनुज अग्रवाल (मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), अजिंदर सांगवान, विवेक नारायण शर्मा, सिद्धार्थ महाजन, राज कुमार शर्मा, एस.एन. शर्मा, एस.के. शर्मा, दीपक सहरावत, तरुणेश कुमार, अरुण राठी, सी.पी. सिंह, संजय सिंह, शुभम अवस्थी, सुश्री स्वीटी चट्टोपाध्याय, रोहन शर्मा, सुश्री रिशिना पराशर, इरफान फिरदौस, कुणाल चोपड़ा, अनिरुद्ध कुमार, वी.पी. सिंह, नरेंद्र सिंह, धन सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, श्रीराम पी., खुशबू जैन, विष्णु शंकर एम.एस., अथिरा जी. नायर, अंकुर एस. कुलकर्णी, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, तरुणा अर्धेंदुमौली प्रसाद, निर्मल कुमार अंबष्ठ, नमित सक्सेना, अंजुल द्विवेदी, गुणवंत दारा, राजेश रंजन, एमके मारोरिया, सरला चंद्रा, सचिन पाटिल, प्रवीण अग्रवाल, गगन गुप्ता, एच. चंद्रशेखर, अश्वनी कुमार दुबे, संजीव कुमार बालियान, पूर्विश जितेंद्र मलकान, धरिता मलकान, दीपा गोरासिया, भास्कर सिंह, सुश्री मधुस्मिता बोरा, वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, श्रीमती नंदिनी गोरे, परमानंद पांडे, सुदर्शन सिंह रावत, सुश्री पोली कटाकी, आर. बालासुब्रमण्यम, गौरव शर्मा, अमनदीप कौर, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, रामेश्वर प्रसाद गोयल, केवी भारती उपाध्याय, एम. शोएब आलम, फौजिया शकील, उज्ज्वल सिंह, मोजाहिद करीम खान, मोहिंदर जीत सिंह, प्रांग नेवमई, स्लोमिता राय, ईसी अग्रवाल, हिमिंदर लाल, शिबाशीष मिश्रा, मृत्युंजय कुमार सिन्हा, सुभाशीष मोहंती, मोहम्मद सादिक टी.ए. अमोल बी करांडे, विजय कुमार, गोपाल प्रसाद, अनुपम लाल दास, मेसर्स वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, सुश्री स्नेहा कलिता, विकास उपाध्याय, विदित मोंगा, सुश्री अपर्णा झा, डॉ कैलाश चंद, जोगी स्कारिया, सुश्री बीना विक्टर, राकेश के शर्मा, एस.एस. शमशेरी, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रुचि कोहली, विपिन कुमार, बलदेव आत्रेय, दीपक गोयल, कमल कुमार पांडे, आदित्य सिंह, पीयूष के रॉय, सुश्री काकली रॉय, राजन के. चौरसिया, सुश्री ललिता कोहली, अभिषेक स्वरूप

(मेसर्स मनोज स्वरूप एंड कंपनी के लिए), डॉ. मनीष सिंघवी, शैलजा नंदा मिश्रा, सत्येंद्र कुमार (इरशाद अहमद के लिए), सुधांशु एस. चौधरी, सुश्री राधिका चतुर्वेदी, हितेश कुमार शर्मा, एस. के. राजौरा (सुश्री मंजू जेटली के लिए), श्रीमती संतोष सिंह, सुश्री मालिनी पोडुवल, अनुराग दुबे, अजीत कुमार पाठक, संचित माहेश्वरी, एसआर सेतिया, सुश्री कामाक्षी एस मेहलवाल, वाई राजा गोपाल राव, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी बनर्जी, राजीव सिंह, अंजनी कुमार मिश्रा, सुश्री क्रिस्टी जैन, हरविंदर चौधरी, मेसर्स लेमैक्स लॉयर्स एंड कंपनी, विशाल खट्टर, सुश्री सी रुबवती, एम. ए. चिन्नासामी, के. इथिराज, पी. वी. दिनेश, ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगनाधन, सुनील फर्नांडिस, सुश्री नुपुर कुमार, हर्ष वी. सुराणा, गौरव अग्रवाल, कुणाल सिंह, पुखराम्बाम रमेश कुमार, सुश्री राहत शर्मा, शिशिर पिनाकी, राजीव कुमार सिन्हा, सुमी पी.एस., विभाकर मिश्रा, के.के.गौतम, उमेश पी. वाधवानी, दीपेंद्र कुमार पाठक, निश्चल कुमार नीरज, सुवेंदु सुवासिस दास, के.वी.मोहन, अतुल झा, संदीप झा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, उपस्थित पक्षों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया, द्वारा –

आर.के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति. 1. इस न्यायालय द्वारा 14.12.2017 को पारित आदेश के बाद मुख्य मामले में स्पष्टीकरण/पक्षकार/निदेश/हस्तक्षेप/उचित आदेश/संशोधन के लिए कई वार्ताकारी आवेदनों का एक समूह इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना।

<u>आई.ए. संख्या 14049, 14055, 14059 और 14062 वर्ष 2018।</u>

3. आवेदकों के वकील का तर्क यह है कि तमिलनाडु राज्य के विद्वान महाधिवक्ता, जो राज्य बार काउंसिल के पदेन सदस्य हैं, ने 15.01.2018 को एक पत्र लिखा है, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी के राज्य बार काउंसिल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की उनकी क्षमता पर आशंका व्यक्त की गई है। इस न्यायालय के ध्यान में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 23.01.2018 के आदेश को भी लाया गया था, जिसमें अदालत चुनाव की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक तटस्थ समिति की नियुक्ति के लिए निष्कर्ष पर पहुंची थी। हालांकि, अदालत ने कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि मामला इस अदालत के समक्ष लंबित था।

4. बी.सी.आई. की ओर से 23.01.2018 को दायर निर्देशों के आवेदन में, यह कहा गया है कि संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा आयोजित किए जाने वाले चुनावों की देखरेख के लिए ट्रिब्यूनल / समितियों का गठन किया गया है। जहां तक तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य में बार काउंसिल के लिए होने वाले चुनावों का संबंध है, बी.सी.आई. द्वारा गठित समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं, अर्थात् माननीय न्यायमूर्ति वी.के. गुप्ता, झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति टी. सुदंथीराम, पूर्व न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय न्यायमूर्ति वी.डी. ज्ञानी, पूर्व न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। उपर्युक्त समिति को तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्य विधिज्ञ परिषद के चुनावों के मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। समिति में विभिन्न उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश शामिल हैं और हमें इसके स्थान पर किसी अन्य समिति के गठन का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है।

5. ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए, वार्ताकारी आवेदनों को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

आई.ए. संख्या 9727 और 7520 वर्ष 2018

6. इन दो आवेदनों के माध्यम से, आवेदक, जो केरल राज्य में वकालत कर रहे हैं, बी.सी.आई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए चुनाव कार्यक्रम में संशोधन की मांग करते हैं।

7. 23.01.2018 को बी.सी.आई. की ओर से दायर निर्देशों के लिए आवेदन के मद्देनजर, केरल राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है और चुनाव की तारीख 25.03.2018 के रूप में अधिसूचित की जाती है। आवेदकों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि चुनाव का दिन रविवार होने के बावजूद राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है और इसलिए बहुसंख्यक मतदाताओं के लिए वोट डालना संभव नहीं होगा। चुनाव की तारीख 25.03.2018 से बढ़ाकर 18.03.2018 करने का अनुरोध किया गया था।

8. मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम बार काउंसिल ऑफ केरल के लिए चुनाव की तारीख 25.03.2018 से 18.03.2018 तक पूर्व–निर्धारित करते हैं, हालांकि, बी.सी.आई. द्वारा अंतिम रूप दिए गए शेष चुनाव कार्यक्रम वही रहेंगे। तदनुसार आवेदनों का निपटान किया जाता है।

आई.ए. संख्या 11955 और 11959 वर्ष 2018

9. उपरोक्त दो आवेदनों के माध्यम से, आवेदकों ने बी.सी.आई. और महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल को निर्देश देने की मांग की है कि वे इन राज्यों के अधिवक्ताओं, जो मतदाता सूची में हैं, को नई दिल्ली में अपना वोट डालने की अनुमति दें। इसके अलावा, सभी आवेदक महाराष्ट्र और गोवा से हैं और कानूनी अभ्यास के उद्देश्य से दिल्ली में बस गए हैं। बी.सी.आई. द्वारा पारित संकल्प के संदर्भ में एक संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें बी.सी.आई. ने इस न्यायालय के विद्वान महासचिव से अनुरोध किया है कि वे उन अधिवक्ताओं को सक्षम करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने पर विचार करें जो विभिन्न राज्य बार काउंसिलों के साथ पंजीकृत हैं और संबंधित राज्य बार काउंसिल की मतदाता सूची में हैं। हालांकि, बी.सी.आई. को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

10. चुनाव कार्यक्रम को पहले ही अंतिम रूप दिए जाने के कारण, हमें आवेदकों या नई दिल्ली में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को अपने संबंधित राज्यों के बजाय नई दिल्ली में अपना वोट डालने की अनुमति देने का कोई आधार नहीं मिला।

आई.ए. संख्या 12811 वर्ष 2018।

11. वर्तमान आवेदन राजस्थान बार काउंसिल द्वारा दायर किया गया है, जिसमें चुनाव की तारीख को 28.03.2018 से 05.04.2018 तक इस आधार पर पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में 24.03.2018 से 01.04.2018 तक छुट्टियां हैं और उच्च न्यायालय में कार्य करने वाले सभी सदस्य अदालत में छुट्टियों के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हमें छुट्टियों के बहाने चुनाव की तारीख को स्थगित करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है क्योंकि हमारे लिए चुनाव को फिर से निर्धारित

करना उचित नहीं होगा जो पहले से ही 28.03.2018 के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।

<u>आई.ए. संख्या 14854 वर्ष 2018</u>

12. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक, जो दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में नामांकित है, इस आशय का निर्देश चाहता है कि उसका नाम मतदाता सूची में इस कारण से शामिल किया जाए कि उसने समय के भीतर सभी अपेक्षित दस्तावेज जमा किए थे। हालांकि, हम पाते हैं कि आवेदक ने मूल दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान नहीं की थीं, जिसके परिणामस्वरूप उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया था।

13. हमने आवेदक द्वारा उठाई गई याचिका पर अपना विचारशील विचार किया है। हमारे विचार में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को मतदाता सूची में आवेदक का नाम शामिल करने का निर्देश देने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। तदनुसार आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

<u>आई.ए. संख्या 13749 वर्ष 2018</u>

14. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक, जो एक वकील के रूप में कार्य कर रहा है और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के साथ नामांकित है, चुनाव कराने और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल और तेलंगाना राज्य बार काउंसिल को इस न्यायालय द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार चुनाव आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करता है।

15. दिनांक 23.01.2018 को बी.सी.आई. की ओर से दायर निर्देशों के आवेदन में, हम पाते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम बी.सी.आई. द्वारा तय किया गया है, हालांकि, तेलंगाना राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और इसलिए, तेलंगाना की राज्य बार काउंसिल में चुनाव तय नहीं किया गया है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, हमें बी.सी.आई. को तेलंगाना राज्य बार काउंसिल के लिए चुनाव आयोजित करने का निर्देश देने का कोई कारण नहीं मिलता है। आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

दिव्या पांडे। आवेदनों का निपटारा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.

Satyendra Yadav
Advocate

Advocate on Roll : A/S0567/2023
Contact No. : 8896551733